कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
छठवॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2288656 फैक्स : 0522–2288655

संख्या : /अ–07/टी0जी0–2/वरिष्ठता सूची/12 दिनांक : /09/2012

1. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0
मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल
लखनऊ/आगरा/मेरठ/वाराणसी, केस्को कानपुर।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0ट्रांस0कार्पो0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय : टी0जी0–2/टी0जी0–1/केबिल ज्वाइन्टर की संयुक्त वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 2152/अनु0–7/मु0अ0(ज0वि0) दिनांक 26.09.12 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपके डिस्काम/केस्को/ट्रास्को के अधीन कार्यरत टी0जी0–2/टी0जी0–1/केबिल ज्वाइन्टर पदधारकों की संयुक्त वरिष्ठता सूची कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए उसकी साफ्ट कापी आपको इस आशय से प्रेषित की गयी थी कि टी0जी0–2/टी0जी0–1/केबिल ज्वाइन्टर की संयुक्त वरिष्ठता सूची में अंकित विवरण से अपने अधीनस्थ सभी प्रश्नगत कार्मिकों को अवगत कराते हुए वरिष्ठता सूची में अंकित प्रविष्टियॉ त्रुटि पूर्ण/अपूर्ण रहने अथवा किसी कार्मिक का नाम छूट जाने पर सम्बन्धित कार्मिक से प्रत्यावेदन प्राप्त कर उसे सेवा पुस्तिका इत्यादि से मिलान करने के उपरान्त वरिष्ठता सूची के प्रारूप में उल्लिखित सभी प्रविष्ठियों को अंकित करते हुए वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित नियंत्रक अधिकारी **दिनांक 25.10.2012 सायं 5.00 बजे** तक इस कार्यालय में अवश्यमेव प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, ताकि उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जा सके। डिप्लोमा धारी टी0जी0–2 कार्मिकों के डिप्लोमा प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियॉ भी उनके नियंत्रक अधिकारी उपरोक्त तिथि तक आवश्यक उपलब्ध करा दे। उन्हें यह भी विशेष रूप से अवगत करा दिया जाये कि इस **तिथि 25.10.2012 के बाद** प्राप्त किसी भी कार्मिक के प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं इस तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण के पश्चात् संयुक्त वरिष्ठता सूची घोषित कर दी जाएगी। टिप्पणी कालम में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारियों से सेवा पुस्तिका/मूल अभिलेखों की सत्यापित प्रतियों सहित पुष्टिकारक वांछित सूचना **हार्डकापी एवं सी0डी0 (एक्सेल फार्मेट)** में प्रेषित करने का कष्ट करें।

विषयांकित सूची प्रत्येक दृष्टि से त्रुटि/विसंगति रहित बनाये जाने के उद्देश्य से उक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध करना है कि प्रश्नगत वरिष्ठता सूची में से ऐसे प्रश्नगत कार्मिक जो सेवा निवृत्त/त्याग पत्र/दिवंगत/दूसरे डिस्काम को स्थानान्तरित/प्रोन्नत हो चुके है, का नाम अपने सम्बन्धित डिस्काम/केस्को/ट्रास्कों की संयुक्त वरिष्ठता सूची से हटाते हुये संशोधित वरिष्ठता सूची **दिनांक 25.10.2012 तक हार्डकापी एवं सी0डी0 (एक्सेल फार्मेट में)** सहित इस कार्यालय में अवश्यमेव प्राप्त करा दें ताकि तद्नुसार विषयगत कार्मिकों की संयुक्त वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप देते हुये अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर चयन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ को प्रेषित की जा सके।

इसे अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण समझें।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)

संख्या 2125/अनु0–07/तद्दिनॉक 29.09.2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0एवंप्रशा0) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (यूनीफाइड), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कारपोरेशन की वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करें।

F.I.O. to SE(ULDC) 6/10

(एस0पी0 सिंह) 29/9/12
मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)

F.I.O TO EE Web.
6.10.12